न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 31.03.2023

अपील संख्या 2023/53

उनवान

1. नाथू आत्मज सीताराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. काना आत्मज सीताराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1. बजरंग लाल
   2/2. विजेश मेहर
   2/3. धूमा मेहर पुत्रगण काना
   2/4. भगबाई पत्नी काना समस्त जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
   2/5. गायत्री बाई पुत्री काना पत्नी राजू, जाति बलाई, निवासी गटिया, तहसील श्यामगढ़, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
   2/6. रेखा बाई पत्नी रामकरण पुत्री काना, जाति बलाई, निवासी अंतालिया, तहसील सुआसरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
3. श्रीमती सुहागबाई बेवा सीताराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (मृतक)

.... अपीलांट

बनाम

1. सुखलाल आत्मज लक्ष्मण बलाई, निवासी मरलावदा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1– बालाराम आत्मज सुखलाल, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
   1/2– जड़ाव बाई बेवा सुखलाल, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. नारायण आत्मज लक्ष्मण, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1. सुन्दरबाई बेवा नारायण, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
   2/2. देवीलाल आत्मज नारायण, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
   2/3. रामकंवर बाई पुत्री नारायण पत्नी सीताराम, जाति बलाई, गारियाखेड़ी
   2/4. मानकुंवर बाई पुत्री नारायण पत्नी राधेश्याम, जाति बलाई, निवासी दसोरिया
3. सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड
4. सरदार बाई पत्नी नाथूलाल, जाति मेहर, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान–
   4/1. ओमप्रकाश पुत्र नाथूलाल, जाति मेहर, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट नं. 1 की ओर से।
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 19.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 105/दावा/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मरलावदा, तहसील पचपहाड में खसरा नं. 371, 372, 503, 504, 435, 461, 846, 947, 948, 999, 844/1176, 1000, 503/1130 कुल रकबा 60 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादीगण कम 1 व 2 के पिता व 3 के पति के नाम पर स्थित है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.06.2008 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 निरस्त कर दिया तथा विवादित आराजी खसरा नं. 562, 563, 686, 687, 689, 786 ल0 790, 1256 ल0 1258, 1307, 1321 व 1424 रकबा 39.01 बीघा ग्राम मरलावदा में अपीलांट का 1/4 बहिस्सा बराबर तथा रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का 3/8 – 3/8 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की। रेस्पोडेंट नं. 2 द्वारा रेस्पोडेंट नं. 5 को विकय की गई आराजी खसरा नं. 1256 ल0 1258 में 3/8 हिस्सा रेस्पोडेंट नं. 5 को उपलब्ध करवाया जावे। उक्त आराजी सहित शेष आराजी का अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1, 2 व 5 के मध्य विधि सम्मत प्रकिया के अनुसार बंटवारा किया जावे। पक्षकार अंतिम डिकी विभाजन की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.08.2008 को उपस्थित होवे।

उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में होने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपील डिकी/आर.टी.एक्ट/7645/2008/जिला झालावाड में दर्ज कर निर्णय दिनांक 28.02.2023 को अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे वादी के वाद और प्रतिवादी के काउंटर क्लेम की सीमा तक ही उभयपक्ष को सुनकर विधिनुसार निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 24.06.2008 की पालना में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अभिभाषक अपीलांट कम 1 व अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट कम 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड हुई है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 28.02.2023 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने के कारण अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत अपील एवं माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर घोषणा व बेदखली का अनुतोष चाहा है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 से विवादित तथ्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी नं. 5 का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि प्रतिवादी नं. 5 की आराजी पर न तो स्वयं जबरन कब्जा करें, न अन्य से करावे। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध वादी अपीलांट ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील संख्या 340/2007 दायरा दिनांक 21.08.2007 से अपील प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2008 से स्वीकार कर विवादित आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा बराबर तथा रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 का 3/8–3/8 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की। साथ ही अपने निर्णय में रेस्पोडेंट नं. 2 द्वारा रेस्पोडेंट नं. 5 को विक्रय की गई आराजी खसरा नं. 1256 लगायत 1258 में 3/8 हिस्सा रेस्पोडेंट नं. 5 को उपलब्ध कराने एवं उक्त आराजी सहित शेष आराजी का अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1, 2 व 5 के मध्य विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा करने का आदेश पारित किया।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2008 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2023 से वादी अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 340/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2008 को अपास्त कर प्रकरण इस अपीलीय न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे वादी के वाद और प्रतिवादी के काउंटर क्लेम की सीमा तक ही उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें।

वादी अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का स्वयं को एक मात्र खातेदार बताते हुए और विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 का कोई कानूनी अधिकार नहीं है व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 का नाम शामलाती खाते से हटाया जाये तथा इन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में इस आराजी पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। इस आशय की प्रार्थना प्रस्तुत की। परीक्षण न्यायालय ने वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विवादित आराजी को पैतृक मानते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी का भी बराबर का हक व हिस्सा स्वीकार कर सीताराम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज फौती इंतकाल को सही माना और दावा खारिज किया, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा अपील प्रस्तुत

(वीसी रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करने पर अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.06.2008 से वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विवादित आराजी में वादी अपीलांट का 1/4 हिस्सा माना और प्राथमिक डिक्री जारी की। अपीलीय न्यायालय का यह निर्णय परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अभिवचनों के विरूद्ध था क्योंकि वादी अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में विभाजन की प्रार्थना ही नहीं की थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट की प्रार्थना के विपरीत जाकर जो निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2008 पारित की उसे माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 28.02.2023 से अपास्त कर दिया।

परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में 6 तनकीयात कायम की और वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का बराबर का हिस्सा स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष में सीताराम की मृत्यु के पश्चात दर्ज हुए फौती नामान्तरकरण को सही माना है। अपने इस निष्कर्ष का विस्तृत विवेचन परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 में किया गया है, जो विधि सम्मत और न्यायोचित होने के कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 यथावत रखा जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. नाथू आत्मज सीताराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. काना आत्मज सीताराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1. बजरंग लाल
   2/2. विजेश मेहर
   2/3. धूमा मेहर पुत्रगण काना
   2/4. भगबाई पत्नी काना समस्त जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
   2/5. गायत्री बाई पुत्री काना पत्नी राजू, जाति बलाई, निवासी गटिया, तहसील श्यामगढ़, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
   2/6. रेखा बाई पत्नी रामकरण पुत्री काना, जाति बलाई, निवासी अंतालिया, तहसील सुआसरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
3. श्रीमती सुहागबाई बेवा सीताराम, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (मृतक)

......अपीलांट

बनाम

1. सुखलाल आत्मज लक्ष्मण बलाई, निवासी मरलावदा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1– बालाराम आत्मज सुखलाल, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
   1/2– जड़ाव बाई बेवा सुखलाल, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2. नारायण आत्मज लक्ष्मण, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1. सुन्दरबाई बेवा नारायण, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
   2/2. देवीलाल आत्मज नारायण, जाति बलाई, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
   2/3. रामकंवर बाई पुत्री नारायण पत्नी सीताराम, जाति बलाई, गारियाखेड़ी
   2/4. मानकुंवर बाई पुत्री नारायण पत्नी राधेश्याम, जाति बलाई, निवासी दसोरिया
3. सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड
4. सरदार बाई पत्नी नाथूलाल, जाति मेहर, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान–
   4/1. ओमप्रकाश पुत्र नाथूलाल, जाति मेहर, निवासी मरलावदा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/53** व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**

मु.द.नं **105/दावा/2001** निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक – **30.07.2007**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **22** माह **10** सन् **2024**

हाजरी **श्री राम माहेश्वरी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट नं. 1 की ओर से एवं **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1/1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2007 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **19** माह **11** सन् **2024** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)